न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
008/2020(रसद) (GCMS 2020/00262)	03.07.2020	06.10.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

गोपाललाल पुत्र दल्ला सालवी निवासी आंतर, कल्याणपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षी

उपस्थिति :– हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
एक तरफा — विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रवर्तन निरीक्षक शिवराम चौधरी, बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया दिनांक 21.04.2020 को सुबह 10.50 बजे उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी व उप अधीक्षक बडीसादडी द्वारा रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को दूरभाष पर बताया गया कि मैसर्स रतलाम रेस्टोरेन्ट, घंटाघर चौराहा बडीसादडी द्वारा कोविड–19 महामारी के दौरान लॉक–डाउन में प्रतिबंध के बावजूद समोसे व कचौरी तैयार की जा रही हैं व उक्त खाद्य सामग्री को पकाने में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जा रहा हैं। उक्त सूचना के आधार पर आदेशानुसार आवेदक शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक बडीसादडी पुलिस थाना बडीसादडी पहुँचे। वहाँ थानाधिकारी पुलिस थाना बडीसादडी ने बताया कि मुखबीर के सूचना के आधार पर मैसर्स रतलाम रेस्टोरेन्ट, घंटाघर चौराहा बडीसादडी में कोविड–19 महामारी के दौरान लॉक–डाउन में प्रतिबंध के बावजूद समोसे व कचौरी तैयार की जा रही हैं व उक्त खाद्य सामग्री को पकाने में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किये जाने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर मैसर्स रतलाम रेस्टोरेन्ट, घंटाघर चौराहा बडीसादडी पहुँचें। वहाँ पर पूर्व में ही सुमेरसिंह सहायक उप निरीक्षक व बहादुर सिंह कॉन्टेबल बेल्ट संख्या 968 थाना बडीसादडी मिले। परिसर का मौका मुआयना करने पर रेस्टोरेन्ट में कोविड–19 महामारी में लॉक–डाउन के दौरान प्रतिबन्धित समोसे व कचौरी खाद्य सामग्री तैयार किया जाना पाया गया। उक्त खाद्य सामग्री को पकाने में

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

Web Copy - Not Official

घरेलू गैस का अवैध रूप से व्यापारिक उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर, 01 गैस भट्टी, 01 रेग्यूलेटर, 01 पाईप पाये गये। मौके पर उपस्थित मुल्जिम गोपाल लाल पुत्र दल्ला सालवी से घरेलू गैस भण्डारण के आवश्यक दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। मौके पर घरेलू गैस के 03 सिलेण्डर, 01 कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर, 01 गैस भट्टी, 01 रेग्यूलेटर, 01 पाईप पाये गये जिनको कब्जे में लिया गया व मुल्जिम से घरेलू गैस के अवैध भण्डारण के बारे में पूछताछ करने पर इन्होनें घरेलू गैस का व्यापारिक उपयोग किया जाना स्वीकार किया। मौके पर फर्द तलपट्टी बनाकर मौतबिरान के समक्ष मैसर्स राजदीप एच पी गैस बडीसादडी के प्रतिनिधि बलवीर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह राठौड निवासी बडीसादडी को बुलाकर उनके कम्प्यूटराईज्ड कांटे से जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर, 01 गैस भट्टी, 01 रेग्यूलेटर, 01 पाईप उक्त गैस एजेन्सी की सुपुर्दगी में दिये जाकर मौतबिरान के रूबरू हस्ताक्षर करवाये गये व निर्देशित भी किया गया की उक्त गैस सिलेण्डरों का अपने स्टॉक में इन्द्राज कर अपने गोदाम में सुरक्षित रखेंगे तथा वक्त आवश्यकता पडने पर प्रस्तुत करेंगे। फर्द तलपट्टी फर्द मौके के साथ संलग्न की गई।

अतः एल.पी.जी. आदेश 2000 के उपाबंधों का उल्लंघन पाये जाने पर इस आदेश के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आवेदक द्वारा मैसर्स रतलाम रेस्टोरेंट, घंटाघर चौराहा बडीसादडी से 03 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर, कब्जे में लिये गये। उक्त सिलेण्डर्स का वजन फर्द जप्ती के साथ पृथक् से तैयार कर संलग्न किया गया। इस प्रकार जब्तशुदा 03 सिलेण्डर, 01 कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर, 01 गैस भट्टी, 01 रेग्यूलेटर, 01 पाईप के निस्तारण हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 29.08.2021 को विपक्षी के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

दिनांक 06.10.2021 को पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी हाजिर आये एवं प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 21.04.2020 को विपक्षी की दुकान पर जांच करने पर विपक्षी के दुकान में विपक्षी के कब्जे में 03 सिलेण्डर, 01 कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर, 01 गैस भट्टी, 01 रेग्यूलेटर, 01 पाईप अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य हैं। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन-मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी की दुकान में विपक्षी के कब्जे में 03 सिलेण्डर, 01 कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर, 01 गैस भट्टी, 01 रेग्यूलेटर, 01 पाईप अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों एवं सामग्री के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विपक्षी न्यायालय में भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है ऐसी स्थिति में पत्रावली पर विपक्षी की और से किसी भी प्रकार खण्डन रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा LPG गैस के घरेलू श्रेणी के कुल 03 सिलेण्डर, 01 कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर, 01 गैस भट्टी, 01 रेग्यूलेटर, 01 पाईप एवं सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **12.5 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 21.04.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी गोपाललाल पुत्र दल्ला सालवी निवासी आंतर, कल्याणपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ़ की दुकान मैसर्स रतलाम रेस्टोरेन्ट, घंटाघर चौराहा बडीसादडी से जब्त शुदा LPG गैस के घरेलू श्रेणी के कुल 03 सिलेण्डर, 01 कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर, 01 गैस भट्टी, 01 रेग्यूलेटर, 01 पाईप एवं सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **12.5 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>06.10.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ताराचन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़